स्वामी बालकृष्ण पुरी लॉ कॉलेज

रायगढ़ (छ.ग.)

स्थापना वर्ष : 1972

क्रमांक :

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) से सम्बद्ध

शिक्षा सत्र :

महाविद्यालय विवरण पुस्तिका

Scanned with OKEN Scanner

दिशा निर्देश

1. महाविद्यालय का शिक्षण सत्र उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष जून माह से प्रारंभ होगा ।
2. महाविद्यालय में सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य है, जो महाविद्यालय छोड़ने पर आवेदन किये जाने पर वापस की जा सकेगी ।
3. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र को अपना भुगतान शुल्क कार्ड, परिचय–पत्र एवं लाइब्रेरी कार्ड बनवाना आवश्यक है ।
4. महाविद्यालय के प्रशासन एवं पठन–पाठन में छात्रों का सहयोग अनिवार्य है । महाविद्यालय के वातावरण में अशान्ति फैलाना दण्डनीय है ।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा अपना छात्रवृत्ति–आवेदन समय पर जमा करें । विलम्ब से दिये गये आवेदन पर विलम्ब से विचार किया जावेगा ।
6. परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर संबंधित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें । देर से दिये गये प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दियां जावेगा । किसी भी आवेदक द्वारा वाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करने पर, उसका आवेदन–पत्र निरस्त किया जा सकता है ।
8. महाविद्यालय में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन, हड़ताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी भी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा ।
9. महाविद्यालय में रैगिंग लिया जाना नियमानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है । अगर कोई छात्र इसमें लिप्त पाया जाता है तो वह विधिक कार्यवाही व दण्ड का पात्र होगा ।
10. विधि महाविद्यालय एक व्यवसायिक महाविद्यालय है एवं छत्तीसगढ़ शासन के अध्यादेश क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कराए जायेंगे ।
11. प्रवेश व अन्य महाविद्यालयीन शुल्कों की जानकारी समय–समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाती है । आवेदक नियमित सूचना पटल देखें ।
12. प्रवेश आवेदन पत्र व नियमावली रूपये 50.00 (पचास रूपये मात्र) का भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
13. परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु शपथ–पत्र के साथ रू. 100/– जमा करना अनिवार्य होगा ।

* * * * *

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य नियमावली

1. महाविद्यालय में शिक्षण सत्र सामान्यतः 15 जून से प्रारंभ होगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा निधि देय होने पर आवेदन किये जाने पर ही वापस की जा सकेगी ।
3. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के सप्ताह पश्चात् छात्र अपना शुल्क कार्ड प्राप्त कर लें तथा अपना परिचय पत्र एवं लाईब्रेरी कार्ड बनवा लें । यह छात्र/छात्रा हित में आवश्यक है ।
4. महाविद्यालय के प्रशासन एवं पठन–पाठन में छात्रों का सहयोग अनिवार्य है एवं महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना समुचित विधिक कार्यवाही के कारण दण्डनीय है।
5. महाविद्यालय के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रवृत्ति हेतु आवेदन समय पर जमा करें । विलम्ब से दिये गये आवेदन पर विचार न होने पर छात्र/छात्रा स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।
6. परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के भीतर महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन दे दें । देर से दिये गये प्रवेश आवेदन पर स्थान रिक्त होने की दशा में ही विचार संभव हो सकेगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जावेगा ।
8. महाविद्यालय में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन, हड़ताल, हिंसक कार्यवाही या किसी भी प्रकार के दुराचरण के आरोपी अथवा दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
9. विधि खंड प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की कक्षायें दिन में लगेंगी । जो कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रातः 8.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच महाविद्यालय की समय सारिणी के अनुसार होंगी ।
10. महाविद्यालय में क्रिकेट के लिए कोई प्रावधान नहीं है । अन्य अनेक खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राचार्य की अनुमति से संचालित किया जा सकेगा ।
11. महाविद्यालय में छात्र – छात्राओं को पान गुटका आदि खाकर आना मना है। महाविद्यालय की दिवालों एवं फर्श पर थूकने वाले छात्र– छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रवेश संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी, जो कि कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित रहेगी ।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानान्तरण प्रकरण छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी । परन्तु ऐसी स्थिति में प्रवेश स्थान रिक्त होने पर दिया जा सकेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातक स्तर पर प्रवेश संख्या का निर्धारण

1. विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की कक्षाओं में बार काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन अधिकतम 4 सेक्शन में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा।
2. विधि खण्ड प्रथम में छात्रों की अधिकतम संख्या 320 तथा विधि खण्ड दो एवं तीन प्रत्येक में 240 रहेगी।

प्रवेश सूची

1. प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने के उपरान्त एवं जहां आवश्यक हो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी। प्रतिलिपि को राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है।
2. निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् प्रवेशित छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जावेगा।
3. प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जावेगा । तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

प्रवेश की पात्रता

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

1. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
2. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
3. विधि खण्ड एक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी ।
4. विधि प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नवीनतम प्रावधानों के अनुसार सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश की पात्रता होगी ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

1. विधि स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए : 42% एवं सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होंगे। समय–समय पर विश्वविद्यालय अथवा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा भेजे गये निर्देशों के अनुसार उक्त प्राप्तांकों का प्रतिशत बढ़ाया / घटाया जा सकता है।
2. प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं के लिए ही लागू होगी।

समकक्ष परीक्षा

1.. सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। उस्मानिया एवं ककातिया (काकतीय) विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए. / बी. काम, डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षायें मान्य नहीं हैं।

बाह्य आवेदकों का प्रवेश

1. स्नातक स्तर पर बी.ए. / बी.कॉम / बी.एस–सी. / बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म.प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / ग्रुपों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा गुरुघासीदास विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय / विषयों / ग्रुप की अगली परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

अस्थाई प्रवेश की पात्रता

1. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. विधि खण्ड एक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर तथा खण्ड दो प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा में एक विषय में ATKT प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।
3. विधि खण्ड एक प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर तथा खण्ड दो प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या ATKT प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश हेतु अनर्हताएं

1. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा।
2. जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और/या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र–छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश नहीं देने के लिए अधिकृत हैं।
3. महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।
4. विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
5. पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
6. छात्रों को कक्षा में उपस्थिति के प्रति सचेत किया जाता है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार 75 % उपस्थिति प्रत्येक प्रश्न पत्र के विषय में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है। यदि उपस्थिति न्यून रही तो अभिभावकों को सूचित किया जावेगा। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की उपस्थिति यदि न्यून हुई तो छात्रवृत्ति समक्ष कलेक्टरेट को सूचना दी जायेगी ।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता

1. प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा :– उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।
3. आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अंध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावेगा। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

1. अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 तथा 18% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों एवं उनके पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये।
4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।
5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने वाले के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियामानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
7. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
8. समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

प्रवेश लेने हेतु नियम

सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हों चाहे वे उत्तीर्ण होकर आगामी परीक्षा में प्रवेश पाना चाहते हों, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि इस तिथि में वृद्धि की गई तो उस आशय की सूचना, महाविद्यालय सूचना पटल पर लगा दी जायेगी। छात्र स्वयं प्रार्थना पत्र भरेंगे तथा आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में मुख्य लिपिक के पास प्रस्तुत करेंगे। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक छात्र/छात्रा को निम्न प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।

विधि खण्ड एक : प्रथम सेमेस्टर

1. मूल स्थानान्तरण प्रमाण –पत्र।
2. 10 + 2 प्रणाली से उत्तीर्ण छात्रों से 10 वीं तथा 12 वीं की अंकसूची।
3. स्नातक उत्तीर्ण परीक्षायें जैसे बी.ए., बी.एस–सी, बी.कॉम. जो भी हो उसकी सत्यापित अंकसूची। यदि स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसकी भी सत्यापित अंकसूची।
4. यदि अंतिम परीक्षा के पश्चात् अंतराल हो तो अंतराल प्रमाण पत्र (गेप सर्टिफिकेट) का शपथ पत्र मूल में।
5. यदि आवेदक छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो तो प्रवजन प्रमाण पत्र मूल में ऐसे छात्र को अपने आवेदन के साथ ही नामांकन फार्म भरकर उसके साथ ही 10 वीं एवं 12 वीं की सत्यापित अंकसूची विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. छत्तीसगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश की पात्रता होगी।
7. जाति प्रमाण–पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।
8. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए तथा घोषणा पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर तथा स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
9. परिचय पत्र के लिए अलग से पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो आवेदन पत्र में संलग्न करें।
10. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटो भी चस्पा करें।
11. आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया प्रवेश हेतु सही पाये जाने के उपरान्त प्रत्येक छात्र को वरिष्ठ प्राध्यापकों की टीम द्वारा अनुशंसा के उपरान्त ही विधि खण्डों में प्रवेश दिया जायेगा।

नोटः–

1. अपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण–पत्रों से रहित अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें छात्र/छात्रायें स्वयं सूचना फलक पर देखें।

<u>विशेष</u>

1. जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा सत्र .... के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम

LL.B. PART-I (FIRST SEMESTER)

PAPER-I. JURISPRUDENCE & LEGAL THEORY
PAPER-II. LAW OF CONTRACT & SPECIFIC RELIEF ACT 1963
PAPER-III. SPECIFIC CONTRACT, INDIAN PARTNERSHIP ACT 1932 AND SALE OF GOODS ACT 1930
PAPER-IV. LAW OF TORTS INCLUDING MOTOR VEHICLE ACCIDENT ACT AND CONSUMER PROTECTION LAWS.
PAPER-V. LEGAL & CONSTITUTIONAL HISTORY OF INDIA

(SECOND SEMESTER)

PAPER-I. LAW OF CRIMES (IPC)
PAPER-II. LAW OF CRIME-II CRIMINAL PROCEDURE CODE. JUVENILE JUSTICE ACT & PROBATION OF OFFENDERS ACT
PAPER-III. LAW OF EVIDENCE
PAPER-IV. FAMILY LAWS-I; HINDU LAW
PAPER-V. FAMILY LAWS-I; MOHAMMEDAN LAW

LL.B. PART-II (FIRST SEMESTER)

PAPER-I. CONSTITUTIONAL LAW-I
PAPER-II. CONSTITUTIONAL LAW-II
PAPER-III. ADMINISTRATIVE LAW & RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
PAPER-IV. LAW OF EQUITY AND INDIAN TRUST ACT, 1882
PAPER-V. PROFESSIONAL ETHICS AND PROFESSIONAL ACCOUNTING SYSTEM (PRACTICALS)

(SECOND SEMESTER)

PAPER-I. C.G. LAND REVENUE CODE AND OTHER LOCAL LAWS
PAPER-II. ENVIRONMENTAL LAWS INCLUDING WILD LIFE PROTECTION AND ANIMAL WELFARE
PAPER-III. LABOUR & INDUSTRIAL LAWS-I
PAPER-IV. LABOUR & INDUSTRIAL LAWS-II
PAPER-V. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (PRACTICALS)

LL.B. PART-III (FIRST SEMESTER)

PAPER-I. COMPANY LAW
PAPER-II. PUBLIC INTERNATIONAL LAW
PAPER-III. INTERPRETATION OF STATUTES
PAPER-IV. HUMAN RIGHTS LAW
PAPER-V. MOOT COURT EXERCISE AND INTERNSHIP (PRACTICALS)

(SECOND SEMESTER)

PAPER-I. TRANSFER OF PROPERTY ACT AND EASEMENT ACT
PAPER-II. CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT
PAPER-III. LAW OF TAXATION
PAPER-IV. INTELLECTUAL PROPERTY LAW & INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000
PAPER-V. DRAFTING, PLEADING AND CONVEYANCING (PRACTICALS)

Scanned with OKEN Scanner

स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आवेदन-पत्र

वर्ष - ....

पासपोर्ट साईज अर्थात 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर के आकार का नवीनतम छायाचित्र संलग्न करें जिसमें धूप का चश्मा, टोपी धारित न हो।

3293

कार्यालय रसीद क्रमांक .... आवेदन पत्र क्रमांक ....

1. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए — एल-एल.बी. भाग .... सेमेस्टर ....
2. आवेदक का पूरा नाम उपनाम सहित — (अ) (देवनागारी लिपि में) ....
   (ब) (अंग्रेजी में) (Capital Letters) ....
3. आवेदक का स्थायी पूर्ण पता (साफ-साफ लिखें) — नाम ....
   घर का पता वार्ड नं. .... मोहल्ला .... दूरभाष क्र. ....
   पो. .... तह. .... जिला ....
4. आवेदक का स्थायी पूर्ण पता (साफ-साफ लिखें) — नाम ....
   घर का पता वार्ड नं. .... मोहल्ला .... दूरभाष क्र. ....
   पो. .... तह. .... जिला ....
5. जन्म तिथि
   (अ) (अंकों में) ....
   (ब) (शब्दों में) ....
   (स) 15 जून को आयु — वर्ष .... माह .... दिवस ....
6. पिता / पति का पूरा नाम ....
7. पिता / पति का व्यवसाय व पूर्ण पता ....
8. माता का नाम ....
9. (अ) पिता / पति के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि ....
   (ब) यदि पिता / माता न हो तो पालक का पूरा नाम, पता एवं आवेदक से सम्बन्ध
   नाम ....
   पता ....
   सम्बन्ध ....
   (स) यदि पिता / पति / पालक स्थानीय न हो तो स्थानीय संरक्षक का पूरा नाम, पता एवं आवेदक से सम्बन्ध
   नाम ....
   पता ....
   सम्बन्ध ....
10. यदि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति छ.ग. शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की संतान, सेवा में नियुक्त कर्मचारी की संतान हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये. ....
11. प्रमाण पत्र प्रस्तुति के अभाव में आवेदक का आवेदन पत्र सामान्य वर्ग में पढ़ा जावेगा ....

Scanned with OKEN Scanner

12. (अ) उस अन्तिम संस्था का नाम जिसमें अध्ययन किया तथा अध्ययन का शैक्षणिक सत्र

(ब) बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस–सी. अन्तिम परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की गई

13. विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक

14. (अ) उस अन्तिम परीक्षा का माध्यम

(ब) अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत

15. क्या गत 5 वर्षों में आवेदक का अध्ययन जारी रहा है यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ।

16. तथा गैप (अन्तराल) सर्टिफिकेट संलग्न किया जावे

17. क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय अथवा अन्य महाविद्यालयों में किसी पाठयक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था तथा उसे प्रवेश नहीं दिया गया, यदि ऐसा हो तो पूर्ण विवरण

18. क्या आवेदक ने इस सत्र में महाविद्यालय अथवा किसी अन्य महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण

19. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि हो तो विवरण देकर नियोक्ता की महाविद्यालय अध्ययन के लिये लिखित अनुमति संलग्न की जावे

20. शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियां खेलकूद, एन.सी.सी. आदि का पूर्ण विवरण

21. आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण

22. आवेदक का मोबाइल नम्बर

23. आवेदक का वाट्सअप नम्बर

24. आवेदक का ई–मेल आई.डी.

Scanned with OKEN Scanner

कक्षा	वर्ष	परीक्षाएं उत्तीर्ण करने का पूर्ण विवरण			अन्तिम वर्ष की शिक्षण संस्था का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
		रोल नंबर	विषय	परीक्षाफल		
हाई स्कूल						
हायर सेकेंडरी						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
एल.एल.बी.प्रथम-प्रथम सेमेस्टर						
एल.एल.बी.प्रथम-द्वितीय सेमेस्टर						
एल.एल.बी.द्वितीय-प्रथम सेमेस्टर						
एल.एल.बी.द्वितीय-द्वितीय सेमेस्टर						
एल.एल.बी.तृतीय-प्रथम सेमेस्टर						
अन्य						

अर्हता रखने वाले आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, प्रमाण पत्रों के अभाव में यह माना जावेगा कि आवेदक उक्त अर्हता का पात्र नहीं है।

(1) अनुसूचित–जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग की संतान होने का प्रमाण–पत्र।

(2) भिन्न विश्वविद्यालय से आवेदन हेतु माइग्रेशन प्रमाण–पत्र।

(3) भिन्न प्रदेश से आये आवेदक को शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) से प्राप्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(4) अगर आवेदक किसी खेल, सांस्कृतिक गतिविधि, एन.सी.सी. आदि में भाग लिया हो तो उसका प्रमाण–पत्र।

(5) विगत वर्ष का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल में।

(6) विगत मैट्रिक्युलेशन से लेकर सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि।

(7) बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नवीन प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुंसार विधि खण्ड एक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में सामान्य वर्ग 45%, पिछड़ा वर्ग 42% एवं एस.सी. / एस. टी. वर्ग 40% से कम अंक प्राप्त छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।

(8) गलत तथ्य बताकर लिये गये प्रवेश बाद में रद्द होने पर जमा किया गया कोई शुल्क वापस नहीं होगा।

(9) महाविद्यालय में आवश्यक 75% उपस्थिति दर्ज न हो तो परीक्षा फार्म अग्रेसित करने से रोका जावेगा।

(10) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम जो चालू सत्र से लागू होगा उसी में परीक्षा देनी होगी। प्रवेश विवरिणका में सम्पूर्ण नियमों की जानकारी मैंने ले ली है।

(11) ऐसे छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे जिनके विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों या दोष सिद्ध हों या उन पर पूर्व सत्र में छात्रों, अधिकारियों या कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का आरोप हो।

संलग्न - आलेखों की सूची :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

मैं ______________________ आत्मज ______________________ या घोषित करता / करती हूं कि मेरे विरूद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण किसी भी दांडिक न्यायालय में नहीं चल रहा है अर्थात न ही किसी अपराध के लिए मुझे दोषी सिद्ध किया गया है। मेरे विरूद्ध छात्रों, अधिकारियों या कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार का कोई भी आरोप नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता / करती हूं कि मैंने महाविद्यालय के समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता / करती हूं कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का सदैव पालन करता / करती रहूंगा / रहूंगी तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाग नहीं लूंगा / लूंगी तथा न ही महाविद्यालय में मैं किसी भी छात्र / छात्रा की रैगिंग लूंगा / लूंगी। न ही किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः सहयोगी होऊंगा / होऊंगी। महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करूंगा / करूंगी। अंतिम तिथि तक यदि शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर सका / सकी तो अगले माह की पहली तारीख से मेरा नाम महाविद्यालय के रजिस्टर से निरस्त कर दिया जा सकेगा। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि चूंकि महाविद्यालय व्यावसायिक है एवं खेलकूद का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उससे संबंधित किसी भी वस्तु या सामान को महाविद्यालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहूंगा / रहूंगी । विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के चयन के आधार पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर मात्र टी.ए. एवं डी.ए. का ही हकदार रहूंगा / रहूंगी।

विधि पाठ्यक्रम एक नियमित श्रेणी का पाठ्यक्रम है । मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी शासकीय / अशासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत नहीं हूँ । मैं महाविद्यालय में नियमित उपस्थित रहूंगा / रहूंगी ।

मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश निरस्त किया जाये व अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता/माता/पालक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे पुत्र / पुत्री / पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैने महाविद्यालय विवरण पुस्तिका के नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण, उपस्थिति तथा दैनंदिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा / दूंगी तथा उसको रैगिंग लेने एवं किसी तरह सहयोगी होने से उसको अलग रखूंगा / रखूंगी तथा अगर वह ऐसा करते पाया जाता है तो उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी एवं महाविद्यालय को अनुशासन बनाये रखने में पूर्ण सहयोग देता रहूंगा / रहूंगी एवं मेरा स्थायी निवास, नाम व पूर्ण पता .... है।

स्थान :

दिनांक : ....

पिता / माता / पालक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थानीय संरक्षक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूं कि ________________________ विधि कक्षा ________________ के द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय विवरण पुस्तिका के नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं छात्र / छात्रा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा / रहूँगी एवं मेरा स्थायी निवास ________________________ है।

स्थान :

दिनांक : ....

संरक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर

आदेश

★ केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये :

आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है तथा उन्हें ठीक पाया गया। उनमें निम्नलिखित अपूर्णताएं हैं तथा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं :–

(1) ________________________

(2) ________________________

आवेदक को कक्षा एल–एल.बी.भाग ________________ में प्रवेश दिया जाता है।

प्रभारी प्राध्यापक

वरिष्ठ प्रभारी प्राध्यापक

Scanned with OKEN Scanner

अस्थायी प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा द्वारा परिवचन (अंडरटेकिंग)

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय :- **सशर्त अस्थायी प्रवेश बाबत् ।**

महोदय,

मैं .... आत्मज/आत्मजा .... निवेदन करता/करती हूं कि कक्षा .... में प्रवेश चाहता/चाहती हूं। मेरे द्वारा जमा किये गये प्रवेश आवेदन पत्र में .... प्रमाण पत्रों की कमी है और दिनांक .... तक यदि मैं उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित समय में महाविद्यालय कार्यालय में जमा करने में असफल रहता हूं/रहती हूं तो मेरा प्रवेश निरस्त समझा जावेगा, जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा महाविद्यालय में जमा किया गया शुल्क वापसी का हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी ।

अतः मुझे सशर्त अस्थायी प्रवेश देने की कृपा करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....
आत्मज/आत्मजा ....
पता ....
....
....

दिनांक ....

स्थान ....

Scanned with OKEN Scanner

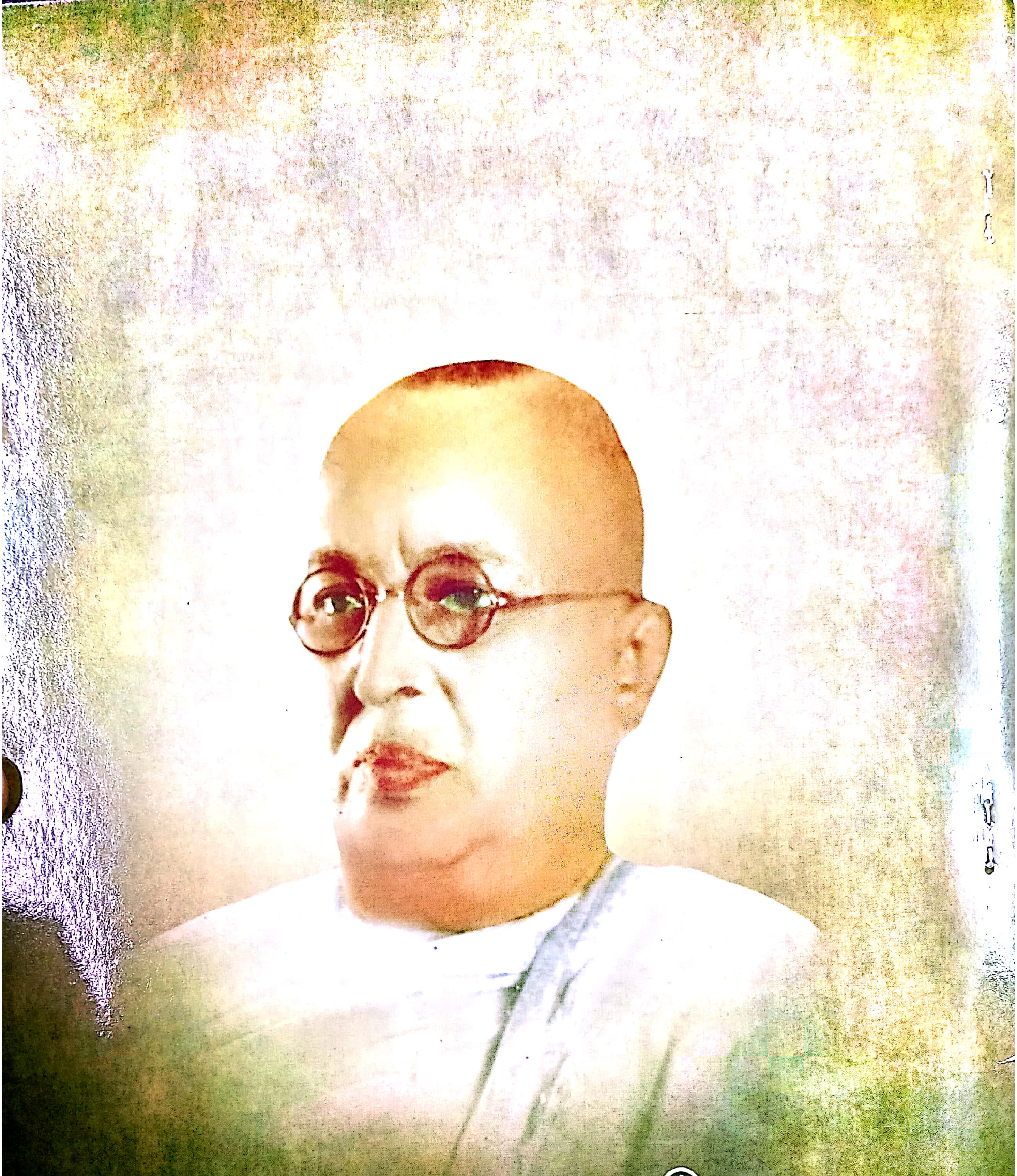

परमपूज्य स्वामी बालकृष्ण पुरी जी महाराज

(जिनके नाम से महाविद्यालय का नामकरण किया गया)

Scanned with OKEN Scanner